भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3059

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना

3059. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत मेकेदातु संतुलन जलाशय सह पेयजल परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सीडब्ल्यूएमए ने उक्त परियोजना पर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से टिप्पणियां मांगी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): कर्नाटक सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को प्रस्तुत मेकेदातु संतुलन जलाशय सह पेयजल परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को सीडब्ल्यूसी ने जनवरी, 2019 में परियोजना की स्वीकार्यता पर विचार करने हेतु कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) को अग्रेषित किया था। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों से प्राधिकरण के पक्षकार राज्यों/सदस्यों के साथ भी डीपीआर को साझा किया गया था ताकि इसपर उनके विचार ले सकें।

दिनांक 01.02.2024 को आयोजित सीडब्ल्यूएमए की 28वीं बैठक में, परियोजना पर विचार-विमर्श किया गया और बैठक में उपस्थित अधिकांश प्रतिभागियों की राय के आधार पर, सीडब्ल्यूएमए ने परियोजना की व्यवहार्यता या अव्यवहार्यता का आकलन करने के लिए डीपीआर को सीडब्ल्यूसी को वापस भेजने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात, सीडब्ल्यूसी में परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जांच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2019 में प्रस्तुत डीपीआर के संबंध में इस योजना में संशोधन किया गया है। कर्नाटक के मेकेदातु संतुलन जलाशय सह पेयजल परियोजना की वर्ष 2019 में प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को परियोजना प्राधिकरण को वापस कर दिया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे सीडब्ल्यूडीटी अवार्ड और सीडब्ल्यूसी की मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करें।

(ख): सीडब्ल्यूएमए ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से मेकेदातु संतुलन जलाशय सह पेयजल परियोजना पर कोई टिप्पणी नहीं मांगी है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत वनों, वन्यजीवों और पर्यावरण अनुपालन से संबंधित मुद्दों को देखती है एवं डीपीआर के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन या कावेरी के जल के अंतर-राज्यीय आवंटन के निर्धारण में इसकी कोई भूमिका नहीं है।
